

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ९/७ /2020 दिनांक ०१.04.2020

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर को दिनांक 26.02.2020 से 27.02.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर/विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
31.3.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2016/ 1946

दिनांक ०१.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 2461 दिनांक 29.02.2020 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर ।
6. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर ।

1.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार